

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2013—वैशाख 27, शक 1935

गृह (सी—अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2013

क्र. एफ.-04-01-2005-दो-सी-1.—प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.-04-01-2005-दो-सी-1, दिनांक 24 मई 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसीज), मध्यप्रदेश भोपाल को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2013

क्र. एफ.-04-01-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के अधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

Bhopal, the 17th May 2013

No. F.4-1-2005-II-C-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (No. 29 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F.4-1-2005-II-C-1, dated 24th May 2010, the State Government hereby designates Additional director General of Police (State Industrial Security force & Private Security Agencies) Madhya Pradesh, Bhopal to be the Controlling Authority for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D. P. GUPTA, Secy.